

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या – 1174/2024

अनवान : –

1. बाबुलाल स्वामी पुत्र शंकर लाल स्वामी निवासी नोहर तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम

1. कुरसेदा बानो पुत्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
2. गुलाम हुसैन पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
3. जब्बार पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
4. नवाबदीन पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
5. मैना बानो पत्नी अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
6. मोहम्मद रफी पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
7. रूकसाना बानो पुत्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
8. संतलाल पुत्र शंकर लाल स्वामी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
9. सुनील कुमार लाटा पुत्र सत्यनारायण लाटा जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा  
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम


उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 08/04/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.9208 है० भूमि वादी व प्रतिकीदीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है

रोही मौजा 1 एनएचआर-बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.9208 है० के प० नं० 314/431 (2) के किला नं. 11 की 0.1260 है० व 12 की 0.1640 है० भूमि में से दक्षिणी पासा की 0.0221 है० भूमि ब० हि० ब० वादी व प्रतिवादी संख्या 8 की जरिये बैयनामा दिनांक 08.11.2024 से प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व 6 से खरीदशुदा है तथा खरीद के समय से ही वादी व प्रतिवादी संख्या 9 काबिज चले आ रहा है इसलिए वादी बैयनामा के अनुसार खरीदशुदा भूमि का न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग तकसीम करवा पाने का अधिकार ही विनाय दावा है।

  
Rahul  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की रोही मौजा 1 एनएचआर-बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.9208 है० भूमि में से प० नं० 314/431 (2) के किला नं. 11 की 0.1260 है० व 12 की 0.1640 है० भूमि में से दक्षिणी पासा की 0.0221 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के ब० हि० ब० कब्जा काशत के अनुसार खाता व लगान अलग तकसीम करवाकर खाता अलग से कायम करवा दे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल-2 करते रहे आखिरकार दिनांक 01.12.2024 को बमुकाम नोहर तहसील नोहर में साफ इन्कार हो गये। यही विनाय मुखारमत है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.9208 है० भूमि में से प० नं० 314/431 (2) के किला नं. 11 की 0.1260 है० व 12 की 0.1640 है० भूमि में से दक्षिणी पासा की 0.0221 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के ब० हि० ब० कब्जा काशत के अनुसार खाता व लगान अलग तकसीम किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे एवं तरमीम मुताबिक नजरिया नक्शा किया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.9208 है० भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


- 1 सुनील कुमार लाटा पुत्र सत्यनारायण लाटा 1/2 हि० जाति ब्राहमण सा० नोहर खातेदार, बाबुलाल स्वामी पुत्र शंकर लाल स्वामी 1/4 हि० जाति स्वामी सा० नोहर खातेदार, संतलाल पुत्र शंकरलाल 1/4 हि० जाति स्वामी सा० नोहर खातेदार - प०न० 314/431 कि०न० 11 मी० रकबा 0.0221 हैक्ट, किला न० 12 मी० 0.0222 हैक्ट कुल 0.0443 हैक्ट
- 2 कुरसेदा बानों 0.3651 हैक्ट, गुलाम हुसैन 0.354025 हैक्ट, जब्बार 0.354025, नवाबदीन 0.354025 हैक्ट, मैना बानो 0.3651, मो० रफी 0.354025, रूकसाना बानो 0.3651 हैक्ट, रेशमा बानो 0.3651 हैक्ट पुत्र पुत्रीया अली मोहम्मद जाति मुसलमान सा० नोहर खातेदार - प०न० 313/430 (1) 16/1 की 0.038, 25 की 0.1518, 314/431(2) 3 की 0.215, 4 की 0.139, 5/1 की 0.025 गै०मु० रास्ता, 5/2 की 0.228, 6 की 0.253, 7 की 0.215, 8

अपना अधिकार  
नोहर

की 0.139, 9 की 0.215, 11 मी0 की 0.1039, 12 मी0 की 0.1418, 13 की 0.177, 14 की 0.253, 19/2 की 0.025, 20 की 0.215, 21/2 की 0.089, 315/431(3) 1/1 की 0.025 गै0मु0 रास्ता, 1/2 की 0.228 हैक्ट कुल किता 19 की 2.8765 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 08/04/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 1174/2024

अनवान : -

1. बाबुलाल स्वामी पुत्र शंकर लाल स्वामी निवासी नोहर तहसील नोहर ।

- वादी

### बनाम

1. कुरसेदा बानो पुत्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
2. गुलाम हुसैन पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
3. जब्बार पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
4. नवाबदीन पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
5. मैना बानो पत्नी अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
6. मोहम्मद रफी पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
7. रूकसाना बानो पुत्री अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
8. संतलाल पुत्र शंकर लाल स्वामी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
9. सुनील कुमार लाटा पुत्र सत्यनारायण लाटा जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 1174 सन 2024 निर्णय दिनांक 08/04/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.9208 है० भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. सुनील कुमार लाटा पुत्र सत्यनारायण लाटा 1/2 हि० जाति ब्राह्मण सा० नोहर खातेदार, बाबुलाल स्वामी पुत्र शंकर लाल स्वामी 1/4 हि० जाति स्वामी सा० नोहर खातेदार, संतलाल पुत्र शंकरलाल 1/4 हि० जाति स्वामी सा० नोहर खातेदार - प०न० 314/431 कि०न० 11 मी० रकबा 0.0221 हैक्ट, किला न० 12 मी० 0.0222 हैक्ट कुल 0.0443 हैक्ट
2. कुरसेदा बानों 0.3651 हैक्ट, गुलाम हुसैन 0.354025 हैक्ट, जब्बार 0.354025, नवाबदीन 0.354025 हैक्ट, मैना बानो 0.3651, मो० रफी 0.354025, रूकसाना बानो 0.3651 हैक्ट, रेशमा बानो 0.3651 हैक्ट पुत्र पुत्रीया अली मोहम्मद जाति मुसलमान सा० नोहर खातेदार - प०न० 313/430 (1) 16/1 की 0.038, 25 की 0.1518, 314/431(2) 3 की 0.215, 4 की 0.139, 5/1 की 0.025 गै०मु० रास्ता, 5/2 की 0.228, 6 की 0.253, 7 की 0.215, 8 की 0.139, 9 की 0.215, 11 मी० की 0.1039, 12 मी० की 0.1418, 13 की 0.177, 14 की 0.253, 19/2 की 0.025, 20 की 0.215, 21/2 की 0.089, 315/431(3) 1/1 की 0.025 गै०मु० रास्ता, 1/2 की 0.228 हैक्ट कुल किता 19 की 2.8765 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर